न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 198 / 2025
दायर दिनांक :— 22.07.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025 / 380
निर्णय दिनांक :— 05.12.2025

1. सोनी देवी पत्नी कौशलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बारू तहसील बाप जिला फलोदी

—**प्रार्थी**

बनाम

1. लालूराम पुत्र धर्माराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. सुरजकंवर पुत्री भाखरसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
3. शंकरलाल पुत्र सुरताराम जाति भील निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. सगुदेवी पत्नी तनाराम जाति भील निवासी देवासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
5. खेतसिंह पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बारू तहसील बाप जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—**अप्रार्थीगण**

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—**1.** श्री रविन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त की भूमि खसरा नम्बर 391 / 1602 रकबा 2.4281 हैक्टेयर सरहद मौजा बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांका, पशुओ के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने कमांक 2025 / 49555 / 23 दिनांक 29.05.2025 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 02.06.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थी की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थी एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ़ कर सुनाया गया और

Satya..
उ... ...कारी
...बाप (फलोदी)

पड़ोसी खातेदार उक्त पैमाईश से संतुष्ट नहीं हुए। पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थी जब उसी समय पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने पैमाईश अनुसार प्रार्थी की हद में खूंटे रोपने नहीं दिये और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि से बरसात के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थी ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 391/1602 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि की दिनांक 02.06.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थी अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि खसरा नम्बर 391/1602 रकबा 2.4281 हैक्टेयर सरहद मौजा बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 02.06.2025 के अनुसार प्रार्थी की हद में प्रार्थी और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 391/1602 रकबा 2.4281 हैक्टेयर सरहद मौजा बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 02.06.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 391/1602 रकबा 2.4281 हैक्टेयर सरहद मौजा बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 02.

Saty..

...कारी
बाप (फलोदी)

…06.2025 अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने के इच्छुक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित
…होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि मजकूर मौजा बाप पटवार हल्का
…न तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 381/1802 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि के
…त्थरगढ़ी मौका फर्द दिनांक 02.06.2025 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुये किये जाने
… आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त
…देश की पालना में विधिवत पत्थरगढ़ी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का
…क्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपुर्दगी हेतु मान्य
…ही है। निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
…या। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)